

राज्य सहायताओं की व्यवस्था के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि के केन्द्रीय ऋण दिये गये हैं;

(ख) उपरोक्त ऋण के दौरान केन्द्रीय सहायता/ऋण से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए गये हैं; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये 1981-82 के दौरान कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

सूह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेश्वर मकवाना) : पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत 1978-79 में मध्य प्रदेश सरकार को 27.69 लाख रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता दी गयी थी। चूंकि 1979-80 में यह योजना राज्य योजना क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी; इसलिए 1979-80 और 1980-81 के दौरान राज्य सरकार को कोई ऋण सहायता नहीं दी गई थी।

सातवें वित्त आयोग द्वारा जिस परिचय्य के लिए सिफारिश की गई थी उस में 27.06 लाख रु० और 17.94 लाख रु० के सहायतामुदान राज्य सरकार को क्रमशः वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान कास्टेबलों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए दिये गये थे।

(ख) अर्जित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और इस के प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जो ही, योगेश्वर । 7वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित की सिफारिश की गई थी उस में उक्त राशि के उपयोग के लिए राज्य सरकार को दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त के अन्तर्गत पुलिस आवास योजना के

5. यह है कि अपर अर्धीनस्थ अधिकारियों (अराजपत्रित) के लिए शत प्रतिशत परिवार आवास और अपर अर्धीनस्थ अधिकारियों के लिए 14 प्रतिशत परिवार आवास तथा 86 प्रतिशत बैंक ऋणों की व्यवस्था की जाए।

(घ) 7वें वित्त आयोग द्वारा जिस परिचय्य की सिफारिश की गई थी उस में 1981-82 के दौरान राज्य सरकार को दी जाने वाली राशि राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर निर्भर करेगी।

#### Stipulation regarding disposal of spent Fuel

9231. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the 1963 treaty with the USA regarding the supply of enriched uranium fuel for the Tarapur Atomic Power Plant, contemplated any stipulations regarding the disposal of spent fuel;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the quantum of spent fuel accumulated with the Tarapur Atomic Power Plant so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ELECTRONICS AND ENVIRONMENT (SHRI C. P. N. SINGH): (a) and (b). The Cooperation Agreement of 1963 contemplates reprocessing of the spent fuel in Indian facilities upon "Joint Determination" on the "Safeguardability of such facility, and provides for operation of the Tarapur reactors on special nuclear material produced by reprocessing of the spent fuel.

(c) 851 spent fuel bundles.